संख्या–1427/xxxi(13)G-2012-37(सू0अ0)/2012

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 13 जून, 2012

विषयः– प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र दिनांक 12–04–2012 द्वारा संज्ञानित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अन्तर्गत योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की सुनवाई के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हैं कि कई प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर प्रथम अपीलों की सुनवाई करने की सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है तथा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्रथम अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि कई प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा केवल अपीलकर्ता की अनुपस्थिति का कारण इंगित करते हुए प्रथम अपीलों को निरस्त किया जा रहा है, जबकि प्रत्येक प्रथम अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर नियमानुसार किया जाना चाहिये।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय प्रकरणों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण के स्थान पर अनुरोध पत्र में अनुरोधकर्ता द्वारा वर्णित समस्या/शिकायत के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों के मध्य समझौता कराने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों का बिन्दुवार विश्लेषण नहीं किया जाता है तथा लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोध पत्रों पर नियमानुसार सूचना देने हेतु समुचित निर्देश भी नहीं दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई तथा उनके निस्तारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाते हैंः–

1. अपील की प्राप्ति पर समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सुनवाई हेतु तिथि नियत करते हुये अपीलकर्ता एवं सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना डाक के माध्यम से दी जाए।
2. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई तथा निस्तारण आवेदन प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के भीतर कर दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–7 की उप धारा–6 के अधीन प्रथम अपील की सुनवाई/निस्तारण के दौरान

अनुरोधकर्ता द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख निःशुल्क उपलब्ध कराया जाय। लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए आवेदक को यदि नोटिस निर्गत कर यथोचित अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए अनुरोध किया गया हो, तब उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स–शुल्क सूचना उपलब्ध करायी जाय।

3. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय को लिखित रूप में जारी करने में यदि निर्धारित अवधि (30 दिन) से अधिक समय लगता हो, तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित किया जाए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक न हो।

4. अपीलकर्ता के सुनवाई तिथि की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त भी उपस्थित न होने पर, अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अन्य अवसर चाहने की स्थिति को छोड़कर प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपील की सुनवाई की जाएगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जा रही पत्रावली की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलकर्ता को प्रत्येक अनुमन्य/उचित सूचना/अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा प्रकटन से छूट वाली सूचना/अभिलेख को लिखित रूप में सूचना का अधिकार अधनियम, 2005 की संगत धाराओं के प्राविधानों के अधीन निरस्त कर दिया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से इतर अपनी सहमति/असहमति को लिखित रूप में, कि किन बिन्दुओं पर असहमति है, कारण बताते हुए इंगित किया जायेगा।

5. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों पक्षों को प्रथम अपील की सुनवाई तिथि की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी गई है, अनुरोधकर्ता को स–शुल्क अथवा निःशुल्क प्रदत्त सूचनाओं/अभिलेखों एवं प्रथम अपील में पारित निर्णयों का अनुरक्षण पत्रावली में व्यवस्थित रूप से किया गया है।

6. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 'तृतीय पक्ष' को आवश्यकतानुसार अवसर देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 में 'तृतीय पक्ष' से सम्बन्धित प्राविधानों का पालन किया गया है।

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय को लिखित में तिथि सहित जारी किया जाए, जिसकी पठनीय प्रतियाँ अपीलकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी को भी उपलब्ध करायी जाए।

8. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता हेतु अपेक्षित सूचना तैयार करते समय, शासनादेश सं0–146 दिनांक 22 मार्च, 2005 के संलग्नक 9 (निरस्तीकरण हेतु) तथा संलग्नक 10 (सूचनाओं को तैयार करने हेतु) में निर्धारित प्रारूपों का प्रयोग किया गया है, जिसके सन्दर्भ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुरोधकर्ता को इस तथ्य की जानकारी दी गयी है कि निरस्त की गयी/उपलब्ध करायी गयी सूचना से असंतुष्ट होने की स्थिति में वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रथम अपील योजित कर सकते हैं, जिसका

सम्पूर्ण विवरण (अपीलीय अधिकारी का नाम व पते सहित) लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र के अंत में अंकित किया जाए।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम अपील का निर्णय उनके द्वारा नाम व तिथि सहित हस्ताक्षरित किया गया है तथा उसके अन्त में अनुरोधकर्ता को द्वितीय अपील करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग का पता उपलब्ध कराया गया है।

अतः कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभागों में नामित प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

संख्या– 1427/xxxi(13)G-2012-37(सू0अ0)/2012, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह सपत)
सचिव।